संख्या डीजीटी-11016/01/2022-हिन्दी/ No. DGT-11016/01/2022-Hindi
भारत सरकार/ Government of India
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय/Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
प्रशिक्षण महानिदेशालय/Directorate General of Training
*****

नई दिल्ली, दिनांक :15 अक्तूबर, 2024
New Delhi, Dated: October, 2024

सेवा में/To,

क्षेत्रीय निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष (प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालय)
Regional Director/ Head of Office (All Subordinate Offices of Directorate General of Training)

विषय : हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान कराने संबंधी

Subject: Providing working knowledge of Hindi to employees/Officers who do not possess working knowledge of Hindi

महोदय/महोदया,

भारत सरकार की राजभाषा नीति की अनुपालना में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त अनुदेशों के बावजूद अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है।

In compliance with the Government of India's Official Language Policy, it is mandatory for all the employees/officers working in various offices of Government of India to possess knowledge of Hindi in the proscribed time limit. In spite of the above instructions some of the working employees/officers still have not acquired the working knowledge of Hindi.

2. आपके सुलभ संदर्भ के लिए, राजभाषा नियम-1976 के नियम 10 के उप नियम 1 के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मियों की परिभाषा अनुबंध-1 में दी गई है। आप तदनुसार कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संबद्ध जानकारी अनुबंध-2 में भरकर महानिदेशालय को 30 अक्तूबर, 2024 तक अनिवार्यतः भिजवाने की कृपा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिलवाने की तत्काल व्यवस्था करें। कृपया हिंदी से संबंधी प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु www.chti.rajbhasha.gov.in वेबसाइट देखें।

2. For your ready reference, according to sub-rule 1 of rule 10 of the Official Language Rule-1976, the definition of working knowledge of Hindi for the employees in given is Annexure-1. Accordingly, please submit the required information of the officers/employees to the Directorate General of Training by 30 October, 2024 and also arrange to provide them working knowledge of Hindi to the officers/employees who do not possess working knowledge of Hindi at local level. Please visit www.chti.rajbhasha.gov.in website for detailed information regarding Hindi training.

Scanned with OKEN Scanner

3. यदि स्थानीय केन्द्र पर प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है तो तदनुसार अवगत कराएं ताकि प्रशिक्षण की शीघ्र अन्यत्र व्यवस्था की जा सके।

3. In case no such training facility available at your center, please apprise us accordingly to enable us to make alternative arrangements.

भवदीय

राजेश मीना

(राजेश मीना)

उप निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

संलग्नः

1. राजभाषा नियम-1976 की प्रति
2. अनुबंध –I तथा II
3.प्रारुप

प्रतिः

1. महानिदेशक/अवर सचिव के पीएसओ
2. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली
3. उप महानिदेशक (मुख्या.) के प्र. नि. सचिव
4. उप महानिदेशक (पूर्व) के प्र. नि. सचिव
5. उप महानिदेशक (दक्षिण) के प्र. नि. सचिव
3. संयुक्त निदेशक, सीएफआई
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), एमएसडीई

Scanned with OKEN Scanner

अनुबंध-I
Annexure-I

राजभाषा नियम-1976 के नियम 10 के उप नियम-1 में वर्णित परिभाषा के अनुसारः

The definition of working knowledge of Hindi, as per sub-rule-1 of rule-10 of the Official Language Rule-1976

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान-(I) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

Working knowledge of Hindi-(I) An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi :-

(a) If he has passed:-

(i) The matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects; Or

(ii) The Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government or when so specified by that Government in respect or any particular category of posts, any lower examination under that Scheme; Or

(iii) any other examination specified on that behalf by the Central Government; or

(b) If he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.

Scanned with OKEN Scanner

अनुबंध-2

Annexure-2

-------- कार्यालय/Office

दिनांक/Date__________

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान

Details of working knowledge of Hindi to the officers/employees in our office

क्र.सं./ S.no.	नाम व पदनाम/ Name and Designation	संस्थान में नियुक्ति की तिथि/ Date of Joining in the Institution	हिंदी ज्ञान का स्तर/ Knowledge of Hindi	टिप्पणी/Remarks

( )

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मोहर/

Signature of HoO with Seal

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप
Form
(नियम 10 देखिए)
(See Rule 10)

मैं एतद्द्वारा द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि निम्नलिखित के आधार पर मैंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है:

I hereby declare that I have acquired a working knowledge of Hindi in view of the following:-

----
हस्ताक्षर
Signature

तारीख:
Date

Scanned with OKEN Scanner